प्रेस नोट

थाना एएचटीयू दिनाँक 25-02-2023

थाना एएचटीयू बागपत, श्रम प्रवर्तन अधिकारी व थाना कोतवाली बागपत पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा चलाये गये बाल भिक्षावृत्ति व बालश्रम उन्मूलन अभियान में 04 बाल श्रमिकों का कराया गया रेस्क्यू ।

कार्यवाही-

आज दिनांक 25-02-2023 को नायब तहसीलदार, थाना एएचटीयू बागपत व श्रम प्रवर्तन एवं थाना कोतवाली बागपत पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा "बाल भिक्षावृत्ति व बालश्रम उन्मूलन" अभियान चलाया गया । जिसमें थाना कोतवाली बागपत क्षेत्र से 04 बाल श्रमिकों का रेस्क्यू किया गया । बाल श्रमिकों को मा0 न्यायालय सीडब्लूसी बागपत के समक्ष पेश किया गया । सीडब्लूसी बागपत द्वारा बाल श्रमिकों के परिजनों को भविष्य में बाल श्रम न कराने की चेतावनी देते हुए परिजनों को सुपुर्द किया गया ।

रेस्क्यू करने वाली टीम-

1-नायब तहसीलदार श्री विवेक मिश्रा

2- श्रम प्रवर्तन अधिकारी श्री एसपी गौतम व श्री विनोद कुमार ।

3-थाना एएचटीयू बागपत टीम ।

4- थाना कोतवाली बागपत पुलिस टीम ।

प्रेस नोट

थाना सिंघावली अहीर दिनांक 25.02.2023

थाना सिंघावली अहीर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 49/23 धारा 420/406/506 भादवि का सफल अनावरण करते हुए 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से धोखाधडी करके ली हुई एक अंगूठी (सफेद धातु) व घटना में प्रयुक्त एक क्रेटा कार बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 15.02.2023 को थाना सिंघावली अहीर पर वादी सुभाष चन्द शर्मा पुत्र स्व0 वेदप्रकाश शर्मा निवासी ग्राम व थाना सिंघावली अहीर ने सूचना दी कि वह अपने खेत से घर लौट रहा था रास्ते में अज्ञात बदमाश (एक साधु के कपड़ो में) अपनी कार से आये तथा वादी को बातों में फंसाकर वादी के साथ धोखाधडी करके 01 अंगूठी (सफेद धातु), 02 अंगूठी (पीली धातु) व एक गले की चैन ले गए । इस संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना सिंघावली अहीर पर मु0अ0सं0 49/23 धारा 420/406/506 भादवि पंजीकृत किया गया था।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं शातिर/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना सिंघावली अहीर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 49/23 धारा 420/406/506 भादवि का सफल अनावरण करते हुए 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है,

जिनके कब्जे से धोखाधडी करके ली गयी एक अंगूठी (सफेद धातु) व घटना में प्रयुक्त एक कार क्रेटा नं0 **HR-33H-4030** बरामद हुई है।

उपरोक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना सिंघावली अहीर पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1-अमित पुत्र करमनाथ निवासी ग्राम वजीरपुर टिटाना थाना समालखा जनपद पानीपत, हरियाणा।

2-करमनाथ पुत्र बालकनाथ निवासी ग्राम वजीरपुर टिटाना थाना समालखा जनपद पानीपत, हरियाणा।

बरामदगी का विवरण-

- धोखाधड़ी से ली हुई एक अंगूठी (सफेद धातु) **(सम्बन्धित मु0अ0सं0 49/23 धारा 420/406/506/411 भादवि थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत)**
- घटना में प्रयुक्त एक क्रेटा कार नं0 **HR 36H 4030**

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री जगवीर सिंह थाना सिंघावली अहीर।

2-उ0नि0 श्री अतेन्द्र सिंह थाना सिंघावली अहीर।

3-का0 406 रविन्द्र भाटी थाना सिंघावली अहीर।

4-का0 44 संजीव कुमार थाना सिंघावली अहीर।

प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत   दिनाँक 25.02.2023

थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 128/2023 धारा 420/384 भादवि में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 13.02.2023 को थाना कोतवाली बागपत पर वादी श्री राजकुमार केन्द्रीय नाजिर न्यायालय जनपद बागपत ने तहरीर दी कि अज्ञात अभियुक्तों द्वारा न्यायालय परिसर में मोटर साईकल पार्किंग हेतु लोगों से अवैध वसूली की गयी। इस संबंध में प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 128/2023 धारा 420/384 भादवि पंजीकृत किया गया था।

कार्यवाहीः-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 128/2023 धारा 420/384 भादवि में वांछित एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नोट- उपरोक्त अभियोग में थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा दिनांक 14-02-2023 को 01 अभियुक्त अभिषेक को गिरफ्तार कर जेल भेजा चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

वीरेन्द्र पुत्र कर्मसिंह निवासी ग्राम निवाड़ा थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-व0उ0नि0 श्री मधुरश्याम थाना कोतवाली बागपत।

2-है0का0 325 शौकीन पाल थाना कोतवाली बागपत।

प्रेस नोट

थाना बडौत **दिनाँक 25.02.2023**

थाना बडौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 161/23 धारा 307/35/120बी भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट में वांछित एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक मो0सा0 स्प्लेंडर प्रो बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 23.02.2023 को थाना बडौत पर वादी अजय कुमार पुत्र एस.के. शर्मा प्रधानाचार्य कुमकुम मोदी स्कूल कस्बा व थाना बडौत ने सूचना दी कि छात्रों 1.तरूण पुत्र सुनील निवासी ग्राम मलकपुर थाना बडौत, 2.सक्षम पुत्र चश्मवीर व 3.राहुल उर्फ गोल्हा पुत्र देवेन्द्र निवासी ग्राम राजपुर खामपुर थाना बडौत द्वारा कुमकुम मोदी स्कूल की गाडी के ऊपर जान से मारने की नियत से तमंचे से फायर किया गया। इस संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बडौत पर मु0अ0सं0 161/23 धारा 307 भादवि पंजीकृत किया गया।

उपरोक्त अभियोग में विवेचना के दौरान प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर धारा 35/120बी भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट की वृद्धि की गयी।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 161/23 धारा 307/35/120बी भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट में वांछित एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक मो0सा0 नं0 DL-6SAQ-7532 बरामद हुई है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बडौत पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नोट- उपरोक्त अभियोग में थाना बडौत पुलिस द्वारा दिनांक 24-02-2023 को 03 छात्रों को गिरफ्तार किया जा चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

प्रथम पुत्र राजीव निवासी ग्राम सिलाना थाना छपरौली जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- **घटना में प्रयुक्त एक मो0सा0 नं0 DL-6SAQ-7532**

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-व0उ0नि0 श्री महेन्द्र सिंह चौहान थाना बडौत।

2-का0 402 विशाल पुनिया थाना बडौत।

3-का0 972 आदित्य प्रताप सिंह थाना बडौत।

प्रेस नोट

थाना बडौत दिनाँक 25.02.2023

थाना कोतवाली बडौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 152/23 धारा 363/376 भादवि व 3/4 पोक्सो एक्ट में वांछित एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बडौत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 152/23 धारा 363/376 भा.द.वि. व 3/4 पोक्सो एक्ट में वांछित एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नोट- उपरोक्त अभियोग की अपहृता को थाना बडौत पुलिस द्वारा दिनांक 22.02.2023 को बरामद किया जा चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

गुल्फाम पुत्र हसीन निवासी ग्राम शाहपुर बडौली थाना बडौत जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री विकुल कुमार थाना बडौत, बागपत।

2-का0 524 सौपाल सिंह थाना बडौत, बागपत।

3-का0 194 तरूण कुमार थाना बडौत, बागपत।

प्रेस नोट

थाना दोघट दिनाँक-25.02.2023

थाना दोघट पुलिस ने एक वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना दोघट पुलिस द्वारा एक वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार वारंटी/अभियुक्त का नाम व पता-

राजीव पुत्र गिरवर निवासी ग्राम आजमपुर मुलसम थाना दोघट जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री देवेन्द्र कुमार थाना दोघट जनपद बागपत।

2- उपनि0 श्री गजेन्द्र कुमार थाना दोघट जनपद बागपत।

प्रेस नोट

थाना कोतवाली खेकडा दिनांक 25.02.2023

थाना खेकडा पुलिस ने 01 वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारन्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली खेकडा पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार वारंटी अभियुक्त का नाम व पता-

राहुल पुत्र रोहताश निवासी मौ0 पट्टी अहिरान थाना खेकड़ा जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री मौ0 आसिफ।

2-का0 911 श्यामवीर।